भा0कृ0अ0प0—केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान
मखदूम, फरह—281122, मथुरा (उ0प्र0)
दूरभाष 0565—276 3380 फैक्स 0565 276 3246

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भा0कृ0अ0प0—केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह, मथुरा (उ0प्र0) में उपलब्ध लगभग 70 से 80 कुन्तल जौ का भूसा (जैसा है जहॉ है) की नीलामी दिनांक 23.12.2019 को दोपहर 12.00 बजे संस्थान के केन्द्रीय सभागार में आयोजित की जायेगी। भूसे का निरीक्षण प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी, कृषि प्रक्षेत्र की अनुमति से किया जा सकता है।

बोली प्रारम्भ होने से पूर्व धरोहर राशि रू.5,000/— (रूपये पॉच हजार मात्र) प्रत्येक बोलीदाता को जमा करने होंगे। धरोहर राशि सफल/अधिकतम बोलीदाता को छोड़कर नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी । बोली समाप्त होने के पश्चात् सफल बोलीदाता को नीलामी की कुल धनराशि का आधा भाग उसी समय जमा करना होगा तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा करनी होगी ।

निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह के पास बिना कोई कारण बताये सभी या किसी भी नीलामी बोली को रद्द करने व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

नीलामी सम्बन्धी अन्य / पूर्ण जानकारी संस्थान की बेवसाइट www.cirg.res.in पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

भा0कृ0अ0प0–केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान
मखदूम, फरह–281122, मथुरा (उ0प्र0)

<u>जौ के भूसे की नीलामी की शर्तें</u>

1. जौ के भूसे की नीलामी 'जैसा है जहॉ है' के आधार पर की जायेगी ।
2. संस्थान के कृषि प्रक्षेत्र में रखे लगभग 70 से 80 कुन्तल जौ के भूसे का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक किया जा सकता है ।
3. बोली लगाने से पूर्व जमानत (बयाने) की राशि रूपया 5,000/–(रूपया पॉच हजार मात्र) प्रत्येक बोलीदाता को जमा करनी होगी ।
4. अधिकतम सफल बोलीदाता को छोड़कर अन्य सभी की जमानत राशि बोली की समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी ।
5. अधिकतम बोलीदाता को अपनी बोली की राशि का 1/2 भाग तुरन्त जमा करना होगा, तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा उसकी जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. नीलामी / ठेके की कुल धनराशि जमा करने के बाद ही खरीददार को जौ के भूसे को ले जाने की अनुमति दी जायेगी तथा जौ के भूसे को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य 15 दिन के अन्दर पूरा करना होगा।
7. सफल बोली दाता को अपने निजी साधन से जौ के भूसे को ले जाना होगा ।
8. संस्थान के धर्म कॉटे पर समिति के समक्ष की गई तौल ही मान्य होगी ।
9. जौ के भूसे को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक ही करना होगा ।
10. संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी बोली या नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है ।
11. यदि कोई विवाद उठता है तो मामला मथुरा जनपद न्यायालय में ही उठाया जा सकेगा ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी